FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान श्रीमती नारायणी देवी बनाम महेश आदि

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र टी० आई० मुकदमा नं. 107 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/12/17	वकील प्रार्थिया श्री रामावतार (बिजारणिया) ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना-पत्र टी०आई० पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। स्थगन पर बहस वकील प्रार्थिया एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थिया पर सगौर मनन किया गया जिससे उभय पक्षकारान को अन्तरिम टी० आई० से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अत: उभय पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि आप विवादग्रस्त आराजी ख० नं० 334, 335, 337 रकबा 1.10 है० तन ग्राम गुवारिया पटवार हल्का पनिहारवास का बिना विधिवत विभाजन कराये बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। उक्त आदेश रास्ते के संबंध मे प्रभावी नहीं होगा। प्रार्थी O.39, R.03 की पालना करे। अप्रार्थीगण को उक्त आदेश अवगत करवाते हुए सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 29-12-2017 को पेश हो।	5634-37 15-12-17
29/12/17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-01-18	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	22/01/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक....12-03-18 को पेश हो।
	12/03/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक...14-05-18 को पेश हो।
	14/05/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक...18-06-18 को पेश हो।
	18/06/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार -2018 के तहत कैम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र पनिहारवास में पेश हुई। प्रा० पत्र टी० आई० से संबंधित मूल वादपत्र निर्णीत किया जा चुका है। अतः प्रा० पत्र टी० आई० में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमें आम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner